



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 619) पटना, मंगलवार, 22 सितम्बर 2020

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर 2020

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र) 01-01/2020-520—बिहार राज्यपाल का दिनांक 16.09.2020 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2020 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक-16.9.2020.

फागू चौहान,
राज्यपाल, बिहार।”

सुरेश पासवान,
सरकार के अपर सचिव।

16 सितम्बर 2020

सं०सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)-01-01/2020-521, दिनांक 16.09.2020, अधिसूचना संख्या 520 दिनांक 16.09.2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश पासवान,
सरकार के अपर सचिव।

The 16th September 2020

No- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2020-520—The Following order of the Governor of Bihar dated 16-09-2020 is hereby published for general information :-

“In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Phagu Chauhan, Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Assembly after Completion of the business of the house on 03rd August, 2020.

Patna,
Dated- 16-9-2020

PHAGU CHAUHAN.
Governor of Bihar.”

SURESH PASWAN,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 619-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>